UPGK010023892026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट,
(महिलाओं के विरुद्ध अपराध), गोरखपुर।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1006/2026

राजू जयसवाल पुत्र लक्ष्मी जयसवाल, उम्र लगभग– 42 वर्ष, निवासी– माल्हनपार, थाना– बांसगांव, जिला– गोरखपुर। .... आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .... विपक्षी।

मुकदमा अपराध संख्या– 98/2026
धारा– 64(1),123,351(3),352 बी०एन०एस०
थाना– बांसगांव, जनपद– गोरखपुर।

1– आवेदक/अभियुक्त राजू जयसवाल द्वारा उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ **प्रीति देवी** का शपथ पत्र संलग्न है। शपथ–पत्र में इस आशय का कथन किया गया है कि अभियुक्त राजू जायसवाल का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न तो दाखिल है न लंबित है और न ही खारिज है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान मामले की पीड़िता (Victim) की पहचान गुप्त रखने के उद्देश्य से जहां भी पीड़िता का नाम आया है, वहां उसे इस जमानत आदेश में मात्र "पीड़िता" शब्द से संबोधित किया गया है।

2– अभियोजन का संक्षिप्त कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा (पीड़िता) के पति रविन्द्र जायसवाल पर पीड़िता के पड़ोसी प्रीति जायसवाल पत्नी राजू जायसवाल द्वारा दिनांक 24.05.2024 को फर्जी एफ०आई०आर० दर्ज किया गया तथा उसके बाद राजू जायसवाल द्वारा पीड़िता को उसके पति के ऊपर फर्जी दायर मुकदमे के सुलह के लिए अपने घर बुलाए तथा चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाकर बेहोश कर दिया औऱ जब पीड़िता को होश आया तब उसके कपड़े अस्त–व्यस्त थे और राजू जायसवाल द्वारा कहा गया कि उसने पीड़िता का बलात्कार किया है तथा उसकी वीडियो भी रिकार्ड कर ली है। यदि वह आज के बाद से उसकी बात नहीं मानेगी तो वह उसका वीडियो उसके परिवार को भेज देगा तथा वायरल भी कर देगा। पीड़िता सामाजिक लोक–लाज के भय के कारण राजू जायसवाल पीड़िता के साथ मनमानी करता रहा। पीड़िता मानसिक रुप से काफी परेशान हो कर राजू जायसवाल की बातों को मानने से इंकार कर रही है तो राजू जायसवाल पीड़िता तथा उसके परिवार को फोन कर भद्दी–भद्दी गाली–गुप्ता व जान से मारने की धमकी दे रहा है। राजू जायसवाल द्वारा यह घटना करीब चार–पांच महीने पूर्व की गयी है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है। उसके द्वारा कोई जुर्म नहीं किया गया है। उसको जानबूझकर रंजिशन, साजिश के तहत मुल्जिम बना दिया गया है। सत्यता यह है कि आवेदक की पत्नी प्रीति जायसवाल ने वादिनी मुकदमा के पति रविन्द्र जायसवाल के विरुद्ध घटना दिनांक 24.05.2024 का एक एफ०आई०आर० अ०सं० 303/2024 अंतर्गत धारा 452,504,354,323,506 भा०दं०सं०, थाना– बांसगांव, जिला– गोरखपुर दर्ज करायी थी।

उसी द्वेषवश वादिनी मुकदमा ने आवेदक के विरुद्ध काफी विलम्ब से घटना का बिना किसी दिन व समय के उक्त एफ०आई०आर० पंजीकृत करा दी है। वादिनी मुकदमा द्वारा स्वयं घटना दिनांक 24.05.2024 का एक एफ०आई०आर० अ०सं० 301/2024 अंतर्गत धारा 323,504,506 आई०पी०सी०, थाना– बांसगांव, जिला– गोरखपुर अपने पति एवं जेठ के विरुद्ध दर्ज करायी है। वादिनी मुकदमा का पति रविन्द्र जायसवाल भी रंजिश व द्वेषवश एक एफ०आई०आर० घटना दिनांक 19.06.2024 का अ०सं० 381/2024 अंतर्गत धारा 504,506 आई०पी०सी०, थाना– बांसगांव, जिला– गोरखपुर आवेदक तथा उसके पिता के विरुद्ध दर्ज कराया है। इस तरह स्पष्ट है कि आवेदक व वादिनी के परिवार से रंजिश है। आवेदक और वादिनी मुकदमा एक–दूसरे से अच्छी तरह परिचित थे और दोनों का प्रेम संबंध था, जिससे भी वादिनी मुकदमा का पति नाराज रहता था और वादिनी मुकदमा को हमेशा उक्त मुकदमा आवेदक के ऊपर दर्ज कराने का दबाव देता था और दबाव में वादिनी ने मुकदमा पंजीकृत कराया। वादिनी मुकदमा ने आवेदक के साथ मंदिर में विवाह की थी, जिसकी वीडियो रिकार्डिंग है। वादिनी मुकदमा ने आवेदक की पत्नी के मोबाईल पर फोन करके कहती थी कि "मैं तुम्हारे पति के साथ अपने मर्जी से संबंध बनायी हूं तथा मैं लिव इन रिलेशन में उनके साथ थी और लिव इन रिलेशन में मेरा अधिकार है" और वादिनी ने यह भी कहा कि मैं तुम्हारे पति को जेल भेजवा कर ही रहूंगी, जिसकी रिकार्डिंग है। आवेदक और वादिनी मुकदमा से व्यावसायिक संबंध भी था और आवेदक के फर्म के खाते से वादिनी मुकदमा के खाते से लेन–देन भी हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि वादिनी मुकदमा ने जानबूझकर मुल्जिम बनायी है। जब दिनांक 24.05.2024 को वादिनी मुकदमा ने स्वयं अपने पति व जेठ के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज करायी थी तो आवेदक द्वारा वादिनी को सुलह हेतु क्यों बुलाया जाएगा तथा वादिनी जब अपने पति से स्वयं पीड़ित है तो पति के हित में आवेदक के घर मध्यस्थता की बात करने क्यों जाएगी, इसलिए पूरी घटना संदेहास्पद हो जाती है। आवेदक द्वारा वादिनी के साथ कोई दुष्कर्म नहीं किया गया है और न ही कोई विष या जड़िमाकारी अस्वास्थकर औषधि देकर उपहति कारित किया गया है और न ही गाली–गुप्ता व जान मारने की धमकी दी गयी है। आवदेक पर लगाया गया आरोप बिल्कुल निराधार व बेबुनियाद है। वादिनी मुकदमा ने अपना कोई मेडिकल परीक्षण भी नहीं कराया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 28.02.2026 से जिला कारागार में है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

4– इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष द्वारा अपने तर्क के समर्थन में सूची के माध्यम से आवेदक की पत्नी प्रीति जायसवाल द्वारा वादिनी मुकदमा के पति के विरुद्ध दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति, वादिनी मुकदमा द्वारा अपने पति रविन्द्र जायसवाल के विरुद्ध दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति, वादिनी मुकदमा के पति रविन्द्र जायसवाल के द्वारा आवेदक व उसकी पत्नी प्रीति जायसवाल के विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति, आवेदक के फर्म M/s National Hardware and Paints के खाता का विवरण जिससे वादिनी के खाता में पैसे का लेन–देन, वादिनी मुकदमा के पति रविन्द्र जायसवाल द्वारा अ०सं० 553/23, धारा 323,504,506 भा०दं०सं०, थाना– बांसगांव, गोरखपुर की प्रति, वादिनी मुकदमा ने अपने पति के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मु०अ०सं० 700/2023 अंतर्गत धारा 323,504,506 भा०दं०सं०, थाना– बांसगांव, गोरखपुर में दर्ज मुकदमे में न्यायालय में दाखिल आरोप पत्र की प्रति, पेन ड्राईव एवं वादिनी मुकदमा व उसके पति रविन्द्र जायसवाल के मध्य तलाक के मुकदमे का दावा की प्रति दाखिल की गयी है।

5– सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपने तर्क में कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा (पीड़िता) को चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती बलात्संग कारित किया। अभियुक्त द्वारा पीड़िता को भद्दी–भद्दी गाली–गुप्ता देकर जान से मारने की धमकी दी गयी। आवेदक/ अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में आवेदक/अभियुक्त जमानत का हकदार नहीं है और तद्नुसार जमानत प्रार्थना–

पत्र निरस्त किये जाने की याचना की है।

6– मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस को सुना तथा संबंधित केस डायरी का अवलोकन किया।

7– केस डायरी व अन्य प्रपत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक/अभियुक्त पर आरोप है कि उसके द्वारा पीड़िता को चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया तथा उसके बाद उसे भद्दी–भद्दी गाली–गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी। पीड़िता द्वारा केस डायरी में संलग्न अपने धारा 180 बी०एन० एस०एस० के कथन में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए बताया है कि राजू जायसवाल द्वारा उसके पति के ऊपर फर्जी मुकदमे के सुलह के लिए अपने घर बुलाया गया तथा चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गयी। जब उसे होश आया तो उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। राजू जायसवाल बोला कि उसने उसका बलात्कार किया है तथा उसका वीडियो रिकार्ड कर लिया है। यह वह उसकी बात नहीं मानेगी तो वह वीडियो वायरल कर देगा। पीड़िता के धारा 183 बी०एन०एस०एस० के बयान में बताया है कि "राजू जायसवाल ने मुझे 16 सितम्बर 2025 को सुबह के 11:30–12:00 मुझे फोन किया और कहा कि जो मुकदमा मेरी बीवी प्रीती ने आपके पति के विरुद्ध कर रखा है, उस सिलसिले में मुझे आपसे बात करनी है। राजू की बीवी ने मेरे पति पर छेड़छाड़ का मुकदमा कर रखा है। यह सब मुकदमेबाजी को जानते हुए भी और मुकदमेबाजी के बाद हुई दुश्मनी के बावजूद भी मैं अपने पति की सहमति से राजू के घर गयी। राजू ने मुझे चाय–पानी दिया। जब मैंने वो चाय पी तो मुझे चक्कर आने लगे और थोड़ी देर में मैं सो गयी और जब उठी तो मैंने देखा मेरे शरीर पर सिर्फ ब्रा और चड्ढी (नेकर) है तो मैंने राजू को पूछा कि ये क्या किया है तो राजू ने बोला मैंने तुम्हारे साथ बलात्कार किया है और मैंने तुम्हारा वीडियो और फोटो भी ली है। पूछने पर कि क्या आपने वो वीडियो देखा तो बताया कपड़े खोलते हुए मैंने राजू को देखा था, उसके बाद कुछ नहीं देखा। फिर राजू ने कहा कि अगर किसी से शिकायत करोगी तो वीडियो और फोटो वायरल कर देंगे। मैंने अपने पति को बताया तो उन्होंने कहा कि शिकायत करो जाकर, परन्तु डर की वजह से नहीं गयी। पूछने पर कि आपने अपना मेडिकल तब कराया था तो बताया गया शर्म की वजह से नहीं कराया। मेरे पति दिल्ली में रहते हैं। जब इस घटना के बारे में पति को बताया था तो पति तुरन्त नहीं आए थे, थोड़े दिन बाद आए थे। घटना के चार–पांच दिन बाद राजू मेरे दरवाजे आकर गाली–गलौज कर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। मुकदमा करने के बाद राजू मुझे लगातार मुकदमा वापस लेने व जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।"

8– पीड़िता द्वारा किए गए उपरोक्त कथनों से स्पष्ट है कि पीड़िता तथा अभियुक्त एक–दूसरे से परिचित थे तथा पीड़िता पूर्व से शादीशुदा भी थी। पीड़िता के कथनानुसार अभियुक्त द्वारा पीड़िता के पति पर किए गए मुकदमे में सुलह के लिए अपने घर बुलाकर उसे चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने पर बेहोश हो गयी तथा जब उसे होश आया तो उसके कपड़े अस्त–व्यस्त थे और अभियुक्त द्वारा उसे बताया गया कि उसके द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया तथा उसका वीडियो भी रिकार्ड कर लिया गया है और उक्त वीडियो को वायरल करने के नाम पर अभियुक्त द्वारा उसके साथ मनमानी की गयी, किन्तु इस संबंध में उसके द्वारा तत्काल कोई शिकायत अपने घर वालों से या किसी पुलिस अधिकारी से नहीं की गयी है और पीड़िता द्वारा जिस वीडियो अथवा फोटो को वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ मनमानी किए जाने का कथन किया गया है वह वीडियो भी वर्तमान स्तर तक पत्रावली पर लंबित नहीं है। पीड़िता द्वारा अपने धारा 183 बी०एन०एस०एस० में बताया गया है कि राजू जायसवाल ने 16 सितम्बर 2025 को सुबह के 11:30–12:00 उसे फोन करके कहा कि जो मुकदमा उसकी बीवी प्रीती ने पीड़िता के पति के विरुद्ध कर रखा है, उस सिलसिले में उसे बात करनी है, इस संबंध में केस डायरी के पर्चा नंबर 9 में उल्लिखित विवरण के अनुसार विवेचक द्वारा पीड़िता के लोकेशन हेतु दिनांक 14.03.2026 को सर्विलांस सेल गोरखपुर से सी०डी०आर०

मांगा गया था, जिसके अनुसार दिनांक 16.09.2025 को वादिनी मुकदमा के मो०नं० 8756943140 का लोकेशन चौरी चौरा में पाया गया था। इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र के साथ जो भी प्रपत्र दाखिल किए गए हैं उनके अवलोकन से स्पष्ट है कि उन लोगों में आपस में एक–दूसरे के प्रति मुकदमेबाजी रही है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 28.02.2026 से कारागार में निरुद्ध है। प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र किता किया जा चुका है तथा वर्तमान में साक्ष्य संकलन की कोई कार्यवाही शेष नहीं है। यहां यह भी स्पष्ट कर दिया जाता है कि इस जमानत आदेश में जो भी संप्रेक्षण किए गए हैं, वे मात्र जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक ही सीमित होंगे। उक्त का कोई प्रभाव मामले के गुण–दोष पर नहीं पड़ेगा। ऐसी दशा में प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, निरोध अवधि एवं अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण–दोष पर विचार करते हुए न्यायालय की राय में आधार जमानत पर्याप्त हैं। अतः आवेदक/ अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **राजू जयसवाल** द्वारा **मुकदमा अपराध संख्या 98/2026, धारा– 64(1),123, 351(3),352 बी०एन०एस०, थाना– बांसगांव, जिला– गोरखपुर** के अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त **राजू जयसवाल** द्वारा **रुपये 1,00,000/– (एक लाख रुपए) का व्यक्तिगत बन्धपत्र** तथा समान धनराशि के **दो प्रतिभू** प्रस्तुत करने पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर उसे निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाये–

1. आवेदक/अभियुक्त घटना से अवगत साक्षियों को डरायेगा–धमकायेगा नहीं तथा प्रकरण के विचारण में सहयोग करेगा।

2. विचारण के दौरान अभियुक्त प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा मामले के विचारण में विलम्ब कारित नहीं करेगा।

3. विचारण के दौरान साक्षियों के उपस्थित होने पर अभियुक्त अनावश्यक स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर मामले को विलम्बित नहीं करेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त की जा सकेगी।

दिनांकः 16.04.2026

(सुदेश कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0,
(महिलाओं के विरुद्ध अपराध),गोरखपुर।
J.O.Code- UP1782

Digitally signed by SUDESH KUMAR
Date: 2026.04.16 17:04:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court